तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/6213/2006/हनुमानगढ़** **राजस्थान सरकार बनाम चन्दूलाल वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम
01-10-2025	**एकलपीठ** **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य** **उपस्थित** श्री शिव प्रकाश चौधरी, राजकीय अभिभाषक श्री प्रदीप नेहरा, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण **निर्णय** 1– यह अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 25–02–2005 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। **2–** प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 29–11–2002 द्वारा चक 6 सीडीआर के प.नं. 223/237 का किला नं. 19, 20 की 2 बीघा, प.न. 223/239 किला नं. 18 की 1 बीघा, पं.न. 228/243 किला नं. 1 से 4, 7 से 14, 17 से 24 की 16 बीघा, प.नं. 222/246 किला नं. 12, 13 की 2 बीघा, 18, 19 की 2 बीघा, 22, 23 की 2 बीघा कुल 6 बीघा व चक 6 एफटीपी के प.नं. 220/245 किला नं. 21 की 1 बीघा प.नं.219/245 किला नं. 24, 25 की 2 बीघा, 219/246 किला नं. 05 रकबा 1 बीघा व प.नं. 220/246 किला नं. 1 की 1 बीघा कुल 30 बीघा भूमि को बहक सरकार रिज्यूम कर राजस्व रिकॉर्ड में रकबा राज दर्ज करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25–02–2005 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 29–11–2002 को अपास्त कर दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। **3–** उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। **4–** राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ अपीलीय के निर्णय एवं पत्रावली का विधिक परीक्षण करने के पश्चात उक्त निर्णय को राज्यहित के विपरीत मानते हुए	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/6213/2006/हनुमानगढ़** **राजस्थान सरकार बनाम चन्दूलाल वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम
	तहसीलदार हनुमानगढ को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया। तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी प्रशासनिक कार्य, कानून व्यवस्था, विशेष राजस्व अभियान, पल्स पोलियों अभियान, चुनाव कार्य एवं जल चेतना यात्रा एंव अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अब अनुमति मिलने पर अविलम्ब यह अपील तैयार करवाकर अपील प्रस्तुत की है, इसलिए धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य किया जावे। विद्वान अभिभाषक का अभिकथन है कि वादग्रस्त भूमि 8 बीघा लूणाराम, कृपाराम, हनुमान पिसरान पूर्णराम के नाम से गैर दाखिलकारी की थी जिसमें से जिला कलेक्टर गंगानगर के आदेश दिनांक 25–01–1971 के द्वारा रामेश्वर को 2 बीघा, लूणा वगैरह को 2 बीघा, गणपत को 2 बीघा आवंटन किया गया किन्तु आवंटन आदेश में रामेश्वर को 3 बीघा, लूणा को 2 बीघा 10 बिस्वा एवं गणपत को 2 बीघा 10 बिस्वा आवंटन अंकित कर दिया एवं रामेश्वर आदि की तरफ से पेश किये गये आवंटन आवेदन पत्र में चक सीडीआर का प.नं. 223/237 किला नं. 12, 13 की 2 बीघा, लूणा, हनुमान पिसरान पूर्ण द्वारा चक 6 सीडीआर प.नं. 223/237 किला नं. 11 की 1 बीघा, चक 3 एफटीपी प.नं. 222/237 किला नं. 15, 16 की 2 बीघा आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश हुआ। आवंटन आदेश में इस भूमि 5 बीघा के अलावा 3 बीघा भूमि और दर्ज है जो बिना आवंटन आदेश में दर्ज होने के अलावा सहवन से दर्ज है, जिसे सही रूप से रिज्यूम करने का आदेश पारित किया गया था। परन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त निर्णय को निरस्त करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायलय के समक्ष प्रत्यर्थीगण ने मियाद बाहर अपील पेश कर मियाद को क्षमा कराने का कोई कारण प्रत्यर्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया, जो मियाद अधिनियम के प्रावधान में मैन्डेटरी है। इस कारण उनकी अपील मियाद के बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य थी। अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण नहीं कर आवंटन बाबत अनियमितता पर कोई विवेचन नहीं किया है। अगर आवेदकों के प्रार्थना पत्र व वास्तविक आवंटन से भिन्न भूमि या रकबा आवंटन आदेश में सहवन से दर्ज किया गया तो इससे प्रत्यर्थीगण को भूमि पर स्वामित्व मिलना विधिविरूद्ध है। अपीलीय न्यायालय ने बिना तथ्यों व अभिलेख का गहन परीक्षण किये सरसरी रूप से विवेचन कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया है। अगर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में प्रत्यर्थीगण की उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर न मिलने की आपत्ति थी तो प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/6213/2006/हनुमानगढ़** **राजस्थान सरकार बनाम चन्दूलाल वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम

सकता था। इसलिए अपील अपलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 25-02-2005 को निरस्त किये जाने आदेश प्रदान किया जावे।

5- जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों के कब्जे काश्त में वर्ष 1950 से पूर्व से चला आ रहा है तथा गैर दखलकारी आवंटन नियम 1970 के तहत उन्हें आवंटित कर दी गई है तथा उनके द्वारा राशि जमा करवा कर खातेदारी अधिकार भी वर्षो पूर्व प्राप्त कर लिया गया है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ ने उनकी खातेदारी भूमि को 50-55 वर्षो पश्चात रिज्यूम करने का विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 29-11-2002 निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पिता गणपत काफी अर्सा पूर्व फौत हो चुके थे इस प्रकार गणपत के विरूद्ध विचारण न्यायालय का आदेश शून्य प्रभावी है। शेष प्रत्यर्थीगण को भी सुनवाई का अवसर न दिया जाकर बिना सूचित किये एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अतः अपील खारिज की जावे।

6- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

7- राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर विचारण उपरांत निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को सद्भाविक व स्वीकारोचित माना जाकर विलम्ब अवधि को क्षमा किया जाता है। विचारण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 29-11-2002 से पूर्व में किये गये आवंटनों के अभिलेख का परीक्षण करते हुए कुल 30 बीघा भूमि बहक सरकार रिज्यूम किये जाने का आदेश किया गया, जिसमें प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज भूमि भी शामिल है। निर्णय में उल्लेखित तथा विश्लेषित भूमि अनुसार कुछ भूमि हेतु प्रत्यर्थीगण ने आवंटन हेतु आवेदन ही नहीं किया था। साथ ही कुछ भूमि बाबत आवंटन तथा आवंटन आदेश भी भिन्नता होकर सहवन से आवंटन आदेश में अंकन कर दिया गया। गणपतराम व चन्दू राम को भूमि आवंटन का प्रमाणन नहीं होना पाया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 25-02-2005 में उपरोक्त वस्तुस्थिति का गुणावगुण पर कोई विवेचन प्रत्यर्थीगण को आवंटित भूमि पर खातेदारी प्राप्त हो जाना तथा लम्बी समयावधि पश्चात उनको निरस्त करना अनुचित मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया गया है। अपीलीय न्यायालय को यह भी परीक्षण करना चाहिए था कि प्रत्यर्थीगण के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/6213/2006/हनुमानगढ़** **राजस्थान सरकार बनाम चन्दूलाल वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम

नाम रिकॉर्ड में भूमि अंकन का क्या आधार था तथा क्या यह अंकन विधिसम्मत एवं सक्षम अधिकारिता द्वारा प्रदत्त निर्णय अनुरूप था? इस प्रकार प्रकरण के विस्तृत तथ्यपरक एवं विधिक परीक्षण के अभाव में अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 25–2–2005 को पूर्ण एवं विधिसम्मत होना नहीं माना जा सकता। अतः आलौच्य निर्णय दिनांक 25–2–2005 निरस्तनीय है।

8– विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन अनुसार प्रत्यर्थीगण को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर न दिया जाना परिलक्षित होता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पिता गणपत की मृत्यु निर्णय से पूर्व ही हो जाना जाहिर किया गया है। हमारा अभिमत है कि प्रकरण में प्रत्यर्थीगण का पक्ष लिया जाकर उन्हें साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुये बाद विश्लेषण विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय द्वारा प्रकरण में पुनः निर्णय पारित किया जाना चाहिए। अतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 29–11–2002 भी निरस्तनीय होकर प्रकरण उन्हें प्रतिप्रेषण योग्य है।

9– अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ के निर्णय क्रमशः दिनांक 25–2–2005 तथा दिनांक 29–11–2002 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णय के पैरा संख्या 8 में उल्लेख अनुसार प्रत्यर्थीगण को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य